

5.2.2)

प्रवाष्नी केशजाट लठी पेच डई ।
अज कपीसाटं व अधिकता अपोसर
अप्येत । अपीसाटं द्वारा एर प्रार्थना
पत्र इत माध्यम से पेच दिया गया
वि प्ररण में आज की तारीख पेची
निस्त है । अपील प्ररण में पकाफलों
के मध्य रखी जाना हो गया है ।
अपीसाटं प्रार्थी अपील नहीं चलाना
चाहता है । व अपील से आरज
रुते से निलेन दिया गया । अपीसाट
प्रार्थी न्यायालय द्वारा में उपस्थित है ।
अदेपिच च उल्लेख इच्छाकर लिए गए
व संक्षेपत अपिषष्टा श्री मुख-यं
योग्यी द्वारा उसी पत्रचन से गि ।
अतः अपीसाट के प्रार्थना
पत्र से एगल रुते एर अपील
अपीसाटं आरज दिया जाता है ।
प्रवाष्नी केशल शुभार होकर इच्छा
दायित हो निष्कर्ष मुते अलास
ठरारा गया । ७२

श्रीलता
Secretary
Maulana
M.